कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

आवश्यक सूचना दिनांक 20 सितम्बर, 2023

संयुक्त निदेशक (उ0शि0) क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय परिसर, देहरादून के पत्रांक 1071/विविध/2023–24 दिनांक 20 सितम्बर, 2023 के अनुपालन में इस महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउट (आभा) निर्मित/पंजीकरण किया जाना हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य देश एवं प्रदेश में डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।

आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउट (आभा) से सम्बन्धित आवश्यक निर्देश–

1. प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ठ पहचान संख्या मिलेगी जो कि 14 अंकों की होगी। उक्त आई.डी. के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य से सम्बन्धी विस्तृत एक कॉमन डिजिटल डाटावेस में एकत्रित रहेगा।
2. व्यक्ति को हुई सभी प्रकार की बीमारियों, जॉचे लैब रिपोर्ट, उपचार, दवाईयॉ आदिका विवरण ऑनलाईन होगा।
3. रोगी पंजीकरण से लेकर उपचार तक की अपनी जानकारी को कागज रहित तरीके से ऑनलाईन रख सकेगें।
4. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से पंजीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं में पंजीकरण के लिए लम्बी कतार से बच सकेगें।
5. सीमित डिजिटल साक्षरता वाले नागरिक भी इसका लाभ आसानी से उठा सकते है।
6. आभा आई.डी. हेतु छात्र/छात्रा अपने आधार नम्बर/ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करें या दिय गये क्यू.आर. के स्कैन करे या **healthid.abdm.gov.in/register** पर लिंक कर सकते है।

अधिक जानकारी हेतु **www.abdm.gov.in** से प्राप्त कर सकते है या हेल्पलाइन न0 **14477** अथवा **155368/18001805368** पर सम्पर्क कर सकते है। सम्बन्धित जानकारी हेतु कैटेलॉग/क्यू.आर. कोड भी प्रेषित किए जा रहे है।

20/9/2023

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि–डॉ0 प्रीतम सिंह, प्रभारी बेवसाइट को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड

"आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) बनाने हेतु दिशा-निर्देश"

QR कोड स्कैन करें >>

01 दिए गए लिंक पर क्लिक करें। healthid.abdm.gov.in

02 " जनरेट वाया आधार " पर क्लिक करें।

03 अपना 12 अंको का आधार कार्ड नंबर डालें।

04 सहमत हूं पर क्लिक करें (i.e "Consent & I am not a Robot")

05 Submit बटन पर क्लिक करें।

06 आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर आए ओ.टी.पी को डालें।

07 Submit बटन पर क्लिक करें।

08 अपना मोबाइल नंबर डाले।

09 मोबाइल पर आए ओ.टी.पी को डालें।

10 Submit बटन पर क्लिक करें।

11 पी.एच.आर."address को डालें जैसा कि यदि आपका नाम आशीष कुमार है तो आप आशीष कुमार डाल सकते हैं

12 अपना ईमेल डालें (यह भरना अनिवार्य नहीं है)

13 Submit बटन पर क्लिक करें।

14 आभा आई.डी.बन गयी है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 155368 / 18001805368 पर सम्पर्क करें

www.abdm.gov.in पर जाएं और फॉलो करें

ndhmuk@gmail.com @AyushmanNHA @AyushmanBharatGoI @AyushmanNHA

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उत्तराखण्ड

नोटिस बोर्ड / लाइब्रेरी / whatsapp Grp / Website में प्रसारित करें

20/9/2023

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड

आभा

आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट

बनाओ —— डिजिटल हो जाओ

आभा खुद बनाएं

QR कोड स्कैन करें >>>

हॉस्पिटल्स की कतारों से मुक्ति पाओ

मेडिकल फाइलों को डिजिटल बनाओ

डॉक्टरों से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा पाओ

विज़िट करें abha.abdm.gov.in | कॉल करें 14477

एबीडीएम सक्षम ऐप्स

ABHA App · Aarogya Setu · DRIEFCASE · Paytm · eka.care · Health

www.abdm.gov.in पर जाएं और फॉलो करें

ndhmuk@gmail.com · @AyushmanNHA · @AyushmanBharatGoI · @AyushmanNHA

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,उत्तराखण्ड

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

डॉ0 धन सिंह रावत | स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य

देश में डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। यह डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से हेल्थ केयर इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों को आपस में जोड़ेगा।

आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के लाभ

एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली

- आप देश में किसी भी जगह मौजूद डॉक्टर के साथ अपनी हेल्थ रिपोर्ट शेयर कर पाएंगे और अपनी बीमारी के बारे में सलाह ले पाएंगे साथ ही बीमारी की जांचें, लैब रिपोर्टस, इलाज एवं दवाईयाँ आदि भी घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इससे समय की बचत के साथ-साथ बीमार व्यक्ति को होने वाली परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा।

कागज रहित मेडिकल रिकॉर्डस

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की मदद से आपको घंटों किसी अस्पताल के बाहर अपने पुराने स्वास्थ्य दस्तावेजों को लेकर लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि किसी भी नये ईलाज की जरुरत पड़ने पर, आप अपने पिछली स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियों को ऑनलाइन दिखाकर सही परामर्श व उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
- चिकित्सक को भी मरीज की मेडिकल हिस्ट्री पता करने, उसके लिए ईलाज की ठीक प्रक्रिया तय करने में सहूलियत मिलेगी।
- इस योजना से देश के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएगी।
- प्रत्येक व्यक्ति का हेल्थआईडी (आभा आईडी) के साथ जुड़ा डाटा सुरक्षित रखा जाएगा और आप जिस सलाहकार या डॉक्टर के साथ इस डाटा को शेयर करेंगे वही इसे देख पाएगा।

14 अंकीय ABHA संख्या के माध्यम से आसान साइन-अप

- आपकी हेल्थ से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट और जांच रिपोर्ट्स आप ABDM Health Records मोबाइल ऐप में स्टोर करके रख सकेंगे।

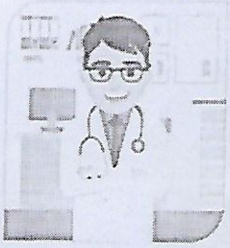

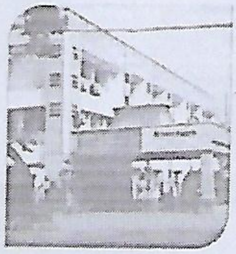

एबीडीएम से कैसे जुड़ें

नागरिक

प्रदेश में अब तक बनाए गए लगभग 29 लाख से अधिक ABHA आईडी एव 3.50 लाख से अधिक ऐप डाउनलोड किए गए।

स्वास्थ्य सेवालता

प्रदेश में अब तक लगभग 1491 स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ABDM में पंजीकृत हो चुके हैं। आप भी हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (HPR) में अपना पंजीकरण करें।

चिकित्सा इकाई के मालिक/प्रबन्धक

प्रदेश में अब तक लगभग 454 चिकित्सा इकाई ABDM में पंजीकृत हो चुकी हैं। आप भी अपनी चिकित्सा इकाई का हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री (HFR) में पंजीकरण करें।

हमारी वेबसाइट https://abdm.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी ABHA ID बना सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नं0 155368 / 18001805368 पर सम्पर्क करें।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

खुद ही बनायें अपना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA आई.डी)

डॉ0 धन सिंह रावत
स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड

ABHA आई.डी क्या है?

देश के हर नागरिक को एक विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Health ID) मिलेगी। यह आईडी 14 अंको की होगी। इस आईडी के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण एक कॉमन डिजिटल डाटावेस में इकट्ठा रखें जा सकेंगे।

व्यक्ति को हुई सभी बीमारियां (diseases), बीमारियों की जांचें (diagnosis), लैब रिपोर्ट, इलाज, दवाईयाँ आदि का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

देशभर के नागरिकों का हेल्थ डॉटा इसमें संकलित होगा। कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ आईडी की मदद से, इसमें अपने हेल्थडेटा जमा कर सकेगा और जरुरत पड़ने पर साझा कर सकेगा।

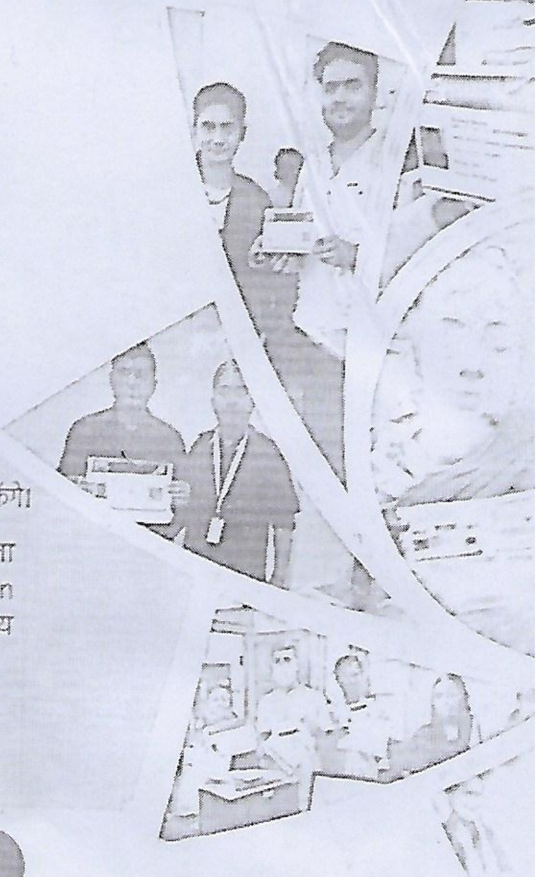

ABHA आई.डी होने के लाभ

- रोगी पंजीकरण से लेकर उपचार तक की अपनी जानकारी को कागज रहित तरीके से ऑनलाइन रख सकेंगे।
- देशभर के डॉक्टरों और अस्पतालों का डेटा ऑनलाइन आपकी पहुँच में होगा। अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप उनका चुनाव कर सकेंगे। निकट भविष्य में इस सिस्टम पर Teleconsultation और E-Pharmacy की सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। जिससे आप अनेकों/बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज घर बैठे भी करा सकेंगे और उचित मूल्य पर दवाइयां भी मंगवा सकेंगे।
- ABDM से पंजीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं में पंजीकरण के लिए लंबी कतारों से बच सकेंगे।
- सीमित डिजिटल साक्षरता वाले नागरिक भी इसका लाभ आसानी से उठा सकेंगे।

ABHA आई.डी कैसे बनाएं

व्यक्ति के मोबाइल नंबर और Aadhar Number की मदद से उसकी Health ID तैयार की जा सकेगी। आईडी बनाते समय उसकी सामान्य जानकारी भी दर्ज की जाएंगी जैसे कि नाम, पता, परिवार आदि। ये सारी प्रक्रिया उसकी सहमति से ही होगी। बाद में किसी व्यक्ति के हेल्थ के रिकॉर्ड का इस्तेमाल करने के लिए भी, उसकी सहमति अनिवार्य होगी।

अपने आधार नंबर/ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें या अपनी ABHA आईडी बनाने के लिए healthid.abdm.gov.in/register पर जाएं

दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें या abdm.gov.in पर जाकर या फिर आभा ऐप, कोविन ऐप, आरोग्य सेतु, पेटीएम एवं डिजी लॉकर आदि के द्वारा अपनी ABHA आईडी बनाएं

देशभर में किसी भी पंजीकृत सार्वजनिक / निजी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों पर भी जा सकते हैं

प्रदेश में अब तक बनाए गए लगभग 29 लाख से अधिक ABHA आई.डी एवं 3.50 लाख से अधिक+ डाउनलोड

अधिक जानकारी के लिए www.abdm.gov.in पर जाएं या हमें फॉलो करें @AyushmanNHA @AyushmanBharatGoI @AyushmanNHA

अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नं0 155368/18001805368 पर सम्पर्क करें।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रसारित में आ

- यदि लाभार्थी को निर्धारित 1600 पैकेज के अतिरिक्त अन्य कोई बीमारी है तो उसके लिए ₹ 1.0 लाख की सीमा तक Unspecified Package के अन्तर्गत उपचार दिये जाने का भी प्राविधान है।
- पैकेज के अन्तर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पूर्व से एवं डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक की दवाईयों सहित भर्ती के दौरान अस्पताल के सभी उपचार संबंधी खर्चे सम्मिलित हैं।
- योजना के अन्तर्गत उपचार के दौरान रोगी के लिए अस्पताल में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है।

योजना की प्रगति (13 अप्रैल 2022)

लाभार्थियों को निर्गत कुल आयुष्मान कार्ड की संख्या	4682989
उपचारित लाभार्थी संख्या	465711
उपचार पर किया गया खर्च	' 33 करोड़

अधिक जानकारी के लि… …म्पर्क करें

हेल्पलाईन नम्बर

155368

1800-180-5368

ए-1, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248013
दूरभाषः 0135-2609522 ईमेल : support-shauk@uk.gov.in
वेबसाईट : https://sha.uk.gov.in

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

- उत्तराखण्ड राज्य के समस्त परिवारों का बिमारी के ईलाज हेतु अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष प्रति परिवार रू05 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना प्रदेश के समस्त परिवार के लिए बीमारी के दौरान कैशलेसस उपचार हेतु 25 दिसंबर 2018 को शुरु हुई।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को एक आयुष्मान कार्ड निर्गत किया गया है, जिसके आधार पर बिमारी के दौरान लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती होने पर योजना के समस्त लाभ मिल सकें।
- योजना के लाभ के लिये प्रदेश में 102 सरकारी एवं 122 निजी चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किया गया है।

आयुष्मान कार्ड बनाये जाने की व्यवस्था

- **लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिये जाने कि व्यवस्था राज्य के अन्तर्गत संचालित हो रहे सभी जन सेवा केंद्रो (Common Service Centres) एवं UTI Infrastructure Technology And Service Limited (UTITSL) पर** उपल्ध है तथा निःशुल्क बनाये जा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में नियुक्त किये गये 'आरोग्य मित्र' द्वारा भी कार्ड बनाए जाते हैं।
- कार्ड बनाते समय लभार्थी का नाम अथवा परिवार के मुख्यिा का विवरण निम्न डेटबेस में होना अनिवार्य है:

  I राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत निर्गत राशन कार्ड का डेटाबेस जिसमें 23 लाख परिवार सम्मिलत है।

  II मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (MSBY) के अन्तर्गत निर्गत कार्ड का डेटाबेस जिसमे 12 लाख परिवार सम्मिलित है।

  III सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना-2011(SECC/SECC Plus) के परिवार सम्मिलत है,
- लाभार्थी परिवार का नाम डाटाबेस में उपलब्ध होने पर Famiy ID राशन कार्ड परिवार रजिस्टर की कॉपी) तथा Individual ID की आवश्यकता होती है।
- बायोमेट्रिक हेतु आधार कार्ड आवश्यक है।
- फेमिली आई0डी0 के रुप में परिवार रजिस्टर की नकल/ राशनकार्ड उपलब्ध न होने पर व्यक्तिगत आईडी जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैनकार्ड , पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई सरकारी आईडी जिसमें लाभार्थी के माता/पिता/पति/पत्नी का नाम हो तथा उसका मिलान NFSA , MSBY तथा SECC डाटबेस से हो जाता है, उस दशा में बिना राशन कार्ड (या परिवार रजिस्टर की नकल) के भी आयुष्मान कार्ड बनाये जा सकते है।

लाभार्थियों को उपचार सुविधा

- इमरजेंसी की अवस्था में लाभार्थी किसी भी सूचीबद्ध चिकित्यालय में भर्ती हो **सकते है तथा सामान्य बीमारी में सरकारी अस्पताल या वहाँ से अन्य अस्पताल में रैफरल के माध्यम से उपचार की सुविधा दी जा रही है।**
- **अस्पताल में भर्ती के समय लाभार्थी समबन्धित सूचीबद्ध अस्पताल में तैनात "आरोग्य मित्र " की सहायता ले सकत हैं।**
- आरोग्य मित्र आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत एक Certified Health Personnel है।
- राज्य के बाहर इलाज कराने हेतु नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध है अर्थात राज्य के बाहर सूचीबद्ध लगभग 27000 से अधिक चिकित्सालयों में कैशलेश उपचार की सुविधा उपलब्ध है।
- नवजात शिशुओं को उनकी माँ के आयुष्मान कार्ड पर उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के लाभार्थियों का अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रूपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा फेमिली **फ्लोटर** के आधार पर अथवा (डे केयर **पैकेज** के लिए) उपलब्ध है।
- योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए 1600 पैकेज